Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 1, Jan – 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 28/12/2020 Accepted on : 12/01/2021 Publication Date: 15/01/2021

इंदिरा आवास योजना का ललितपुर जनपद की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

वन्दना सिंह
शोधार्थिनी (Ph.D.)
शा॰ कमलाराजा कन्या स्वशासी
स्नातकोत्तरमहाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

डॉ. अर्चना कुशवाहा
प्राध्यापक - समाजशास्त्र
शा॰ कमलाराजा कन्या स्वशासी
स्नातकोत्तरमहाविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश : इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में की गई और इसके बाद यह वर्ष 1989 में प्रारम्भ जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 01 जनवरी 1996 को यह योजना एक स्वतंत्र योजना बन गई। प्रस्तुत शोध कार्य का मुख्य उदेश्य उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में चलाए जा रहे इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आये परिवर्तनों की तुलना करना था। अध्ययन हेतु जनपद के समस्त गांवों में से दैव निदर्शन विधि का उपयोग कर 25 गांवों का चयन किया गया। अध्ययन की इकाई जपपद में रहने वाली ग्रामीण महिलाएँ थीं। समस्त समग्र को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग।शोध में दैव निदर्शन पद्धति द्वारा जनपद की ललितपुर तहसील से 30 सामान्य जाति वर्ग की, 38 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 27 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 95 महिलाऐं, महरोनी तहसील से 59 सामान्य जाति वर्ग की, 80 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 48 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 187 महिलाऐं और तालबेहट तहसील से 75 सामान्य जाति वर्ग की, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 40 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 218 महिलाऐं थीं। इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद से 164 सामान्य जाति वर्ग की, 221 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 115 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 500 महिलाऐं अध्ययन में सम्मिलित रहीं। इंदिरा आवास योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में प्रगतिशीलता तो प्रदान लेकिन यह आंशिक रूप से दृष्टिगोचर हो सकी। जिन महिलओं को इस योजना का लाभ मिल सका उनकी पारिवारिक स्थिति में उच्चता पायी गयी लेकिन लाभार्थी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उन महिलाओं की कार्यरत दशा में सुविधाजनक तथा अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर कार्यक्षमता में वृद्दि हुई। ये घरेलू महिलाऐं अब स्वावलम्बन हेतु कदम उठाने के लिए तैयार थीं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अपने कार्य में अधिक सजग और समर्पित पायी गयीं। प्रत्येक कार्यक्रम में जहां उनकी सहभागिता थी, वे सदैव कार्य के प्रति सजग थीं। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से महिलाऐं स्वाबलम्बन प्राप्त नहीं कर पायी हैं। जनपद में चयनित उत्तरदाता महिलाओं ने इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 1.9 (अल्प महत्व की) अंक प्रदान किये गये। शोध आधारित सुझाव इस प्रकार दिये जा सकते हैं कि महिलाओं के पास परिवार को देने के लिए समय में वृद्धि पायी गयी। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं में से कुछ ही को मिल सका तथा इसके लिए उन्हें अत्यधिक प्रयास करने पड़े। अतः इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को अभी भी गरिमा, सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करने की भावना में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस योजना की मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है ताकि यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त बनी रह सके। योजना के अभिप्रसार की आवश्यकता का आभास हो रहा है क्योंकि अभी भी बढे पैमाने पर ग्रामीण महिलाओं में इसके प्रति अनभिज्ञता ज्ञापित की गयी।

प्रमुख कार्य: विकास योजना-ललितपुर, इंदिरा आवास योजना, IAY प्रधानमंत्री आवास योजना (G), PAY (G), सामाजिक उत्थान, महिलाएं।

१ प्रस्तावना:

भारत के प्रमुख शहरों में निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सब्सिडी वाले घरों की बिक्री से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कुमार, (2019) का आकलन है कि अपार्टमेंट प्राप्त करने से लाभार्थियों के स्थानीय राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है, और परिवेशी सुधार करने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार पाने पर भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी प्रकार के परिणामों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में भी की जा सकती है इसीलिए केन्द्र व राज्य सरकारें इस दिशा में अनेक प्रकार की योजनाऐं संचालित करती रहती हैं।

इंदिरा आवास योजना जो अप्रैल 01 2010 से लागू की गयी थी, के प्रारम्भ के दौर में मैदानी क्षेत्रों में किसी घर के लिए सहायता 45000 रु. प्रति आवास है और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 48500 रु. थी। इस योजना के अन्तर्गत किसी मकान के जीर्णोद्धार के लिए 15000 रु की राशि प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया।

जॉन और क्लेएमेंट, (2014) राजस्थान में अत्यधिक पलायन वाले जिलों में परिवारों के सर्वेक्षण तथा माध्यमिक और प्राथमिक शोध दोनों के आंकड़े, दर्शाते हैं कि इंदिरा आवास योजना, उक्त योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित की जा रही है, से पलायन कुछ हद तक कम हुआ है।

जैन, (2015) ने उल्लेख किया है कि इंदिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आईएवाई मकानों का आवंटन विधवा/अविवाहित/पति से अलग रह रही महिला के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाना चाहिए। राज्य चाहें तो इन मकानों का आवंटन केवल महिलाओं के नाम पर भी कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन में ग्रामीण भारत अब अपनी उपस्थिति का अहसास करा रहा है व महिला भागीदारी के साथ उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास कर महिला सशक्तिकरण को सुदृढ कर रहा है। अन्ततः महिला भागीदारी से राष्ट्र के विकास के कर पहिये तेजी से बढ रहे हैं व महिलाओं की नेतृत्व क्षमता व भागीदारी से सामाजिक जनजीवन में सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं।

यह योजना विभिन्न कारणों से अपने उद्देश्यो को पूर्ण नहीं कर पा रही थी। वर्ष 2014 में समवर्ती मूल्यांकन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान कतिपय कमियां ज्ञात हुई (भारत सरकार, 2016) । इनमें प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं-

- मकान की कमी का निर्धारण नहीं कर पाना,
- लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता का अभाव,
- मकान की खराब गुणवत्ता
- तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी
- तालमेल की कमी
- लाभार्थी को ऋण नहीं मिल पाना और
- निगरानी की कमजोर प्रणाली।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर 20, 2016 को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) था। वास्तविकता में यह इंदिरा आवास योजना की ही पुर्नसंरचना थी। इंदिरा आवास योजना में कुछ नीतिगत खामियां पायी गयी थी। इस योजना में उनका निराकरण किया गया है। सन् 2022 तक सब के लिए आवास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत सन् 2019 तक एक करोड़ तथा सन् 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार, (2018) की रिपोट के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत 2013-14 10.51 लाख, 2014-15 में 11.91 लाख, 2015-16 में 18.22 लाख तथा 2016-17 में 32.23 लाख आवासों का निर्माण किया गया जबकि 2017-18 में इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 44.54 लाख आवासों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में होने वाली किसी भी गड़बड़ी की शिकायत 181 के माध्यम से सम्बन्धित राज्य के सीएम हेल्पलाइन पर की जा सकती है (न्यूज 18, 2020)

प्रस्तुत शोध कार्य अन्तर्गत शोधार्थी का मुख्य उदेश्य उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में चलाए चलाये गये इंदिरा आवास योजना के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आये परिवर्तनों की तुलना करना था।

२ शोध पद्धति :

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद को प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना है।एवं प्राप्त परिणामों का वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।

ललितपुर जनपद में महिलाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुल जनसंख्या में से 1,046,214 ग्रामीण महिलाऐं थीं जो कुल महिला संख्या का 85.64 प्रतिशत था और उनका साक्षरता प्रतिशत 46.78 था। जबकि शहरी महिलाओं की संख्या 175,378 थी और यह जनपद में कुल महिला संख्या का 14.36 प्रतिशत थी और इनका साक्षरता प्रतिशत 73.51 था।

तालिका 1 ललितपुर जनपद में महिलाऐं

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कुल जनसंख्या	1,046,214	175,378
जनसंख्या प्रतिशत	85.64	14.36
महिला जनसंख्या	496,736	83,845
पुरुष जनसंख्या	549,478	91,533

कुल साक्षर	517,428	123,763
कुल महिला साक्षर	190,036	53,569
कुल पुरुष साक्षर	327,392	70,194
साक्षरता प्रतिशत	60.38	81.18
महिला साक्षरता प्रतिशत	46.78	73.51
पुरुष साक्षरता प्रतिशत	72.64	88.21
स्त्रोत-भारत सरकार, (2011)		

प्रस्तुत अध्ययन हेतु जनपद के कुल गांवों में से 25 गांवों का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से किया गया। अध्ययन की इकाई ललितपुर में रहने वाली ग्रामीण महिलाएँ थीं। समस्त समग्र को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, नामशः सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग (तालिका 2)। प्रस्तुत अध्ययन में दैव निदर्शन पद्धति द्वारा जनपद की ललितपुर तहसील में अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं में से 30 सामान्य जाति वर्ग की, 38 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 27 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 95 महिलाऐं, महरोनी तहसील में अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं में से 59 सामान्य जाति वर्ग की, 80 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 48 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 187 महिलाऐं और तालबेहट तहसील में अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं में से 75 सामान्य जाति वर्ग की, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 40 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 218 महिलाऐं थीं। इस प्रकार सम्पूर्ण ललितपुर जनपद से 164 सामान्य जाति वर्ग की, 221 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 115 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 500 महिलाऐं अध्ययन में सम्मिलित रहीं।

तालिका 2 अध्ययन हेतु चयनित गांवों की सूचनाऐं

चयनित गांवों की संख्या	25
कुल जनसंख्या	51166
कुल परिवार	9149
उत्तरदाता अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग	115
उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग	221
उत्तरदाता सामान्य वर्ग	164
कुल उत्तरदाताओं की संख्या	500

प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रेक्षण अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधि द्वारा किया गया है जबकि द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेखों के माध्यम से किया गया है।

३ शोध परिणाम एवं व्याख्या :

इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैग योजना है जिसका उदेश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान तैयार करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में देखी जा सकती है जो 1980 में प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और वर्ष 1983 में शुरू किया गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मकानों का निर्माण किया जाना प्रमुख कार्यकलापों में से एक था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में की गई और इसके बाद यह वर्ष 1989 में प्रारम्भ जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 01 जनवरी 1996 को यह योजना एक स्वतंत्र योजना बन गई। इस योजना का उदेश्य मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में रह रहे कमजोर वर्गों जो गरीबी रेख के नीचे की श्रेणी के हैं कि पक्के मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करना है। इंदिरा आवास योजना के लिए वित्तपोष्ण केन्द्र तथ राज्य सरकार के बीच 75-25 अनुपात में वहन किया जाता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह लागत साझेदारी 90-10 आधार पर होती है। मैदानी क्षेत्रों में किसी इंदिरा आवास योजना घर के लिए सहायता 45000 रु प्रति आवास है और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 48500 रु है जो 01.04.2010 से लागू हुआ है। किसी मकान के जीर्णोद्धार के लिए 15000 रु की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त वामपंथी आतंकवाद प्रभावित 60 जिले 48500 रु प्रति इकाई की अधिक दर से सहायता राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे जो 01.04.2010 के बाद जारी सभी संस्वीकृतियों पर लागू होंगी। इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता के अतिरिक्त एक को टॉप-अप करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 4 प्रतिशत ब्याज दर 20000 रु तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारोंके लिए जिनके पास आवास की जगह नहीं है 2009-10 से इंदिरा आवास योजना के एक हिस्से के रूप में मकान के लिए जगह देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वित्त पोषण 50:50 आधार पर वहन किया जायेगा।

४ उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि :

प्रस्तुत शोध में उत्तरदाताओं की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है-

- आयु 30 वर्ष से कम वर्ग से 8.2, 30-50 वर्ष आयु वर्ग से 36.8 तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से 55.0 प्रतिशत रही।
- हिन्दू धर्म से 69.2, मुस्लिम धर्म से 22.4 तथा अन्य धर्म वर्ग से 8.4 प्रतिशत रही।
- आधार कार्ड अनुधारक वर्ग से 2.8, आधार कार्ड की धारक लेकिन बैंक से लिंक्ड नहीं वर्ग से 81.4 तथा आधार कार्ड की धारक लेकिन बैंक से लिंक्ड नहीं वर्ग से 15.8 प्रतिशत रही।
- राशन कार्ड नहीं है वर्ग से 3.8, सामान्य राशनकार्ड अनुधारक वर्ग से 85.2 तथा बी.पी.एल. राशनकार्ड अनुधारक वर्ग से 11.0 प्रतिशत रही।
- एकाकी परिवार से 59.6, तथा संयुक्त परिवार वर्ग से 40.4 प्रतिशत रही।
- गैर स्नातक शैक्षिक स्तर वर्ग से 74.2, स्नातक शैक्षिक स्तर वर्ग से 21.0 तथा स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तर वर्ग से 4.8 प्रतिशत रही।
- निजी आवास वर्ग से 92.2, सरकारी आवास वर्ग से 4.8 तथा अन्य आवास वर्ग से 3.0 प्रतिशत रही।
- जिसके पास जन-धन खाता था 72.0, जन-धन खाता नहीं था 5.2 तथा कोई भी खाता नहीं था 22.8 प्रतिशत रही।
- बीपीएल वर्ग से 4.8, सामान्य आय वर्ग से 72.0 तथा आयकर दाता वर्ग से 23.2 प्रतिशत रही।
- छोटे आकार के आवास धारक वर्ग से 25.0, सामान्य आकार के आवास धारक वर्ग से 57.4 तथा बड़े आकार के आवास धारक वर्ग से 17.6 प्रतिशत रही।

५ महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव :

जनपद में चयनित उत्तरदाता महिलाओं में से 70.4 प्रतिशत को इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम के संचालन का ज्ञान था (तालिका 3)। योजना/कार्यक्रम में लाभार्थी होने योग्य महिलाओं की संख्या 4.8 प्रतिशत थी। योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए 23.6 प्रतिशत महिलाओं ने प्रयास किये थे जिनमें से मात्र 11.0 प्रतिशत महिलाऐं ही योजना में सम्मिलित हो सकीं और लाभान्वित महिलाओं की संख्या 3.4 प्रतिशत थी। बच्चों की शिक्षापर योजना/कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव 6.4 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया, तथा 25.4 प्रतिशत के सामाजिक दायरा वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव रहा। धन खर्च करने के तौर तरीकों के निर्धारण में सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव 28.8 प्रतिशत महिलाओं ने अनुभव किया जबकि 20.8 प्रतिशत महिलाओं की परिवार हेतु समय की उपलब्धता पर योजना/कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम के कारण जनपद की 9.2 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और इस योजना को 3.4 प्रतिशत महिलाओं ने अच्छी योजना/कार्यक्रम माना। जनपद की महिलाओं ने इस योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 1.9 अंक प्रदान किये गये जिसका तात्पर्य यह था कि इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक सुधार हेतु अल्प महत्व की योजना थी।

तालिका 3 इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम का महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रश्न	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
क्या आपको पता है कि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम संचालित है?	हाँ	70.4
	नहीं	29.6
क्या आप इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम की लाभार्थी होने के माप दण्ड में आती हैं?	हाँ	4.8
	नहीं	66.8
	अज्ञात	28.4
क्या आपने इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने के लिए प्रयास किये हैं?	हाँ	23.6
	नहीं	76.4
यदि हाँ, तो क्या आप इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम में आसानी से सम्मिलित हो गई?	हाँ	11

	नहीं	78
	आंशिक रूप से	11
क्या आपको इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम से लाभ मिले है?	हाँ	3.4
	नहीं	87.8
	आंशिक रूप से	8.8
क्या इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षापर सकारात्मक प्रभाव है?	हाँ	6.4
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	31.4
क्या इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम का महिलाओं का सामाजिक दायरा वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव है?	हाँ	25.4
	कह नहीं सकते	63.4
	नहीं	11.2
क्या इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम का धन खर्च करने के तौर तरीकों के निर्धारण में सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव है?	हाँ	28.8
	कह नहीं सकते	59.8
	नहीं	11.4
क्या इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम क्या परिवार हेतु समय की उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव है?	हाँ	20.8
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	17.0
क्या इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम से आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है?	हाँ	9.2
	नहीं	90.8
आप इंदिरा आवास विकास योजना/कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करेगी?	अच्छी	3.4
	सामान्य	6.0
	बेकार	90.6

६ इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन :

तालिका 4 में इंदिरा आवास योजना का 5 अंक पैमाने पर मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। जनपद में ललितपुर तहसील में चयनित उत्तरदाता महिलाओं से इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 2.0 (सामान्य महत्व की) अंक प्रदान किये, वहीं महरोनी तहसील में 1.9 (अल्प महत्व की) अंक तथा तालबेहाट तहसील में 1.9 (अल्प महत्व की) अंक प्रदान किये गये। जनपद की सामान्य जाति वर्ग के अन्तर्गत चयनित उत्तरदाता महिलाओं ने योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 1.7 (अल्प महत्व की) अंक प्रदान किये, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं ने 1.7 (अल्प महत्व की) अंक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं ने 2.6 (सामान्य महत्व की) अंक प्रदान किये। निष्कर्ष था कि जनपद में चयनित उत्तरदाता महिलाओं ने इंदिरा आवास योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 1.9 (अल्प महत्व की) अंक प्रदान किये गये।

तालिका 4 इंदिरा आवास योजना का 5 अंक पैमाने पर मूल्यांकन

तहसील	सामान्य	अपिव	अजा व अजजा	औसत
	अंक	अंक	अंक	अंक
ललितपुर	1.7	1.7	2.7	2
महरौनी	1.7	1.7	2.4	1.9
तालबेहट	1.7	1.7	2.8	1.9
जनपद	1.7	1.7	2.6	1.9

७ परिणामों की व्याख्या :

इंदिरा आवास योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में प्रगतिशीलता तो प्रदान लेकिन यह आंशिक रूप से दृष्टिगोचर हो सकी। जिन महिलओं को इस योजना का लाभ मिल सका उनकी पारिवारिक स्थिति में उच्चता पायी गयी लेकिन लाभार्थी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उन महिलाओं की कार्यरत दशा में सुविधाजनक तथा अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर कार्यक्षमता में वृद्दि हुई। ये घरेलू महिलाऐं अब स्वावलम्बन हेतु कदम उठाने के लिए तैयार थीं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अपने कार्य में अधिक सजग और समर्पित पायी गयीं। प्रत्येक कार्यक्रम में जहां उनकी सहभागिता थी, वे सदैव कार्य के प्रति सजग थीं। हालांकि इस योजना के कारण महिलाओं की आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव तो देखने को नहीं मिल सका लेकिन परोक्ष रूप से उनके स्वास्थ में सुधार आया है। लाभार्थी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार से अपने एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रही थीं। इस कार्यक्रम की लाभार्थी बनते ही महिलाओं की बचत में वृद्धि प्रारम्भ हुई जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा पुरुषों की अपेक्षा शत प्रतिशत अपने पारिवारिक स्थिति के उन्नयन में किया जाता है। परिवार में लिंग-भिन्नता के आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव में कमी आयी है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होने पर महिलाओं में एकता एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढावा मिला है। उनमें स्वच्छता, पौष्टिक आहार तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढावा मिला है। महिलाओं को उच्च शिक्षाका अवसर तलाषना प्रारम्भ कर दिया है। लाभार्थी महिलाऐं सम्पत्ति सम्बन्धी अनेक पारिवारिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हुई हैं। इंदिरा आवास योजना की लाभार्थी महिला के रूप में समाज में उनका सुरक्षा तथा सम्मान को बढ़ावा मिला है। वे महिलाऐं जो इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर रही थी उनमें से अधिकतर का सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर में उन्नति हुई जिसके परिणामस्वरूप उनमें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का भाव बढा और सम्मान भी प्राप्त हुआ।

८ सुझाव :

चूंकि प्रस्तुत अध्ययन में ललितपुर जनपद की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य का विस्तार से अध्ययन किया गया था अतः परिस्थितियों में और बेहतर सुधार प्राप्त करने हेतु कुछ सुझाव भी दिये जा सकते हैं। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से महिलाऐं स्वाबलम्बन प्राप्त नहीं कर पायी हैं। महिलाओं के पास परिवार को देने के लिए समय में वृद्धि पायी गयी। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं में से कुछ ही को मिल सका तथा इसके लिए उन्हें अत्यधिक प्रयास करने पड़े। अतः इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को अभी भी गरिमा, सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करने की भावना में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस योजना की मोनिटिरिंग की भी आवश्यकता है ताकि यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त बनी रह सके। योजना के अभिप्रसार की आवश्यकता का आभास हो रहा है क्योंकि अभी भी बढे पैमाने पर ग्रामीण महिलाओं में इसके प्रति अनभिज्ञता ज्ञापित की गयी।

संदर्भ साहित्य:

1. कुमार, (2019); सस्ते घर की योजनाओं के घरेलू स्तर पर प्रभावः मुम्बई से प्रमाण। आइडियाज फॉर इंडिया, अक्टूबर 09। स्त्रोत-भारत सरकार, (2011)।
2. जैन, पी.टी. (2015); ग्रामीण विकास में महिला भागीदारी एवं इसके सामाजिक प्रभाव। एआईजेआरए, 1, 4, 11.1-11.4।
3. जॉन, पी. और क्लेएमेंट, आई, (2014); अल्पकालिक प्रवास और भारत की रोजगार गारंटी योजना। मुंबईः इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
4. न्यूज 18, (2020); प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत 181 पर। https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/gwalior-rajdhani-express-will-halt-for-2-minutes-at-gwalior-schedule-mpns-3410573.html.
5. भारत सरकार, 2011। स्सपजचनत क्पेजतपबजरू ब्मदेने 2011.2019 Lalitpur District: Census 2011-2019 data. https://www.census2011.co.in/census/district/538-lalitpur.html
6. भारत सरकार, 2018। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दिसंबर, 2018 तक एक करोड़ पक्के ग्रामीण आवासों का निर्माण होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. भारत सरकार, (2016); प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।